यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल के माह 02.2014 से 04.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 18.05.2018 से 22.05.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.02.14 से 03.03.14 तक श्री हनुमान सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2005 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2014 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, रोजगार मेले, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनायों के क्रियान्वयन हेतु तहसील नैनीताल, धारी बेतालघाट आदि भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे आते है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	**2015-16**	**शून्य**	**शून्य**	**56.26**	**32.16**	**11.67**	**11.49**	**-**	**24.28**
2	**2016-17**	**शून्य**	**शून्य**	**37.40**	**33.47**	**11.65**	**11.53**	**-**	**4.05**
3	**2017-18**	**शून्य**	**शून्य**	**52.78**	**43.90**	**11.28**	**9.84**	**-**	**10.32**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

c). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

d). क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी

e). जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 02.2014 से 04.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2014 एवं 03.2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 1- धनराशि रु 1.01 करोड़ का अवरोधन।

According to Financial handbook volume –V(part-1), para 369-D(f) " Transferring grants to personal ledger accounts with a view to avoiding lapse of funds constitutes a financial irregularity and should not be resorted to.

कार्यालय के संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजना Interlinking of Employment to National Career Service Portal के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड सरकार को दो मॉडल कैरियर सर्विस केंद्र स्थापित करने हेतु शासनादेश संख्या 1552/VIII/17-26(सेवा)/2016, दिनांक 16.10.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए धनराशि रु 1.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त योजना का उदेश्य 100 model career center की स्थापना किया जाना था जिस हेतु देहारादून एवं उधम सिंह नगर को प्रथम चरण हेतु तैयार करना था। आगे जाँच मे पाया गया कि आवंटित धनराशि रु 1.12 करोड़ के सापेक्ष 1.01 करोड़ का आहरण कार्यालय जिला सेवायोजन, नैनीताल के माध्यम से किया गया, जबकि उक्त धनराशि राज्य मे स्थित विभाग की समस्त इकाइयो हेतु आवंटित कि गयी थी तथा धनराशि रु 1.01 करोड़ का आहरण जिला सेवायोजन, नैनीताल के लेखाशीर्ष 2230-02-101-01-01 द्वारा आहरित कर मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के पी॰ एल॰ ए॰ खाता संख्या 8448-00-102-0500 मे वाउचर संख्या B223000128 द्वारा दिनांक 29.03.2018 को जमा कर दिया गया।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया कि "शासकीय दिशा निर्देशों के अनुपालन के तहत पी॰एल॰ए॰ खाते मे राशियो का रखरखाव किया गया एवं संबन्धित प्रकरण पर निर्णय शासकीय स्तर पर लिया गया जिसका पृष्ठांकन इस कार्यालय को भी किया गया"।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि संबन्धित धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 मे विभाग द्वारा उपभोग किया जाना था परन्तु 18 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग धनराशि का उपयोग करने मे असफल रहा तथा समर्पण से बचने के लिए धनराशि रु 1.01 करोड़ को पी॰ एल॰ ए॰ खाते मे जमा कर योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया गया।

अतः धनराशि रु 1.01 करोड़ के अवरोधन का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- संभावित व्यय का मदवार बिना आकलन किए जिला योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु 5.73 लाख का अनियोजित ढंग से व्यय का प्रकरण पाया जाना।

Budget Manual के पैरा -16 के अनुसार प्राक्कलन तैयार करते समय संबन्धित अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए एवं सभी मदों पर होने वाले व्ययों हेतु समग्र विचारोप्रांत बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाना चाहिए।

कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी नैनीताल की लेखापरीक्षा मे बजट पत्रावली की जांच की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 मे जिला योजना के अंतर्गत कार्यालय सुदृढ़ीकरण के लिए रु 10.00 लाख की मांग के प्रस्ताव के सापेक्ष कार्यालय को रु 5.73 लाख की व्यय की स्वीकृति प्राप्त हुयी। स्वीकृत धनराशि से सेवायोजन कार्यालय का कैरियर काउन्सलिन्ग कार्यक्रमों का आयोजन, वाहन अनुरक्षण, मानदेय, रोजगार भर्ती मेलो का आयोजन, अलमारी क्रय, प्रोजेक्टर, स्कैनर तथा कंप्यूटर यू पी एस एवं फोटो स्टेट मशीन के अनुरक्षण आदि पर उपभोग करने का उल्लेख अभिलेखो मे पाया गया, परंतु इसके लिए धन की माँग के लिए विभिन्न मदों पर होने वाले संभावित व्ययों की गणना का कोई गणितीय अभिलेख लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य मे जिलायोजनान्तर्गत जो धनराशि प्राप्त होगी उसका मदवार फॉट बनाकर स्थानीय स्तर पर समिति धारित कर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी तथा उसी के अनुरूप आगामी वर्ष मदों के संभावित व्यय के प्राक्कलन तैयार कर जिला योजना समिति को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, जब प्रत्येक प्रकार के खर्चो का मद शासन द्वारा संचालित किए जा रहे है तो प्राक्कलन मदवार तैयार कर संभावित व्ययों की गणना की लेखांकन विधि से तैयार कर माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत की जानी थी जो लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 2:- विभागीय उदासिनता के कारण कर्मचारी के अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि रु 61,351/- की गणना PRAN खाते मे नही किया जाना।

उत्तराखण्ड मे राज्य कर्मचारियो के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/xxvii/अ.पे.यो./2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन, महगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंशदान एवं निवेश से होने वाली आय को एक खाते मे जमा किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। चूँकि नए भर्तिशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि मे अंशदान करने मे सक्षम नही होंगे अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वेछिक टियर-2 खाता भी रख सकते है, परंतु सेवायोजक टियर-2 खाते मे कोई अंशदान नही करेगा। टियर -2 खाते मे आस्तियों का निवेश/ प्रबंधन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है तथापि कर्मचारी अपने टियर -2 खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी क्रम मे शासनादेश संख्या 643/XXVII(7)/अ.पे॰यो॰/2010, दिनांक 11.08.2010 मे स्पष्ट रूप से कोषागार को निर्देशित किया गया कि कार्मिको को CRA से PRAN आवंटित होने के बाद ही अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जाएगी तथा बिन्दु संख्या 04 मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि

(4)– आधेसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन :– इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अशंदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अशंदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अशंदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर–5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी0पी0एफ0 की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगें, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

कार्यालय के उक्त संबन्धित अभिलेखो कि जांच के उपरांत पाया गया कि श्री दीप चंद्र जोशी, अनुसेवक की स्थायी नियुक्ति दिनांक 21.12.2006 को राजकीय औद्योगिक विशिष्ट आई टी आई, हरिद्वार मे अंशदायी पेंशन योजना के तहत हुई थी जिसके तहत खाता संख्या CPSN/NTL/21267 कर्मचारी को आवंटित किया गया तथा दिसंबर 2006 से अंशदायी पेंशन

योजना के तहत वेतन से कटौती की गयी, जबकि कर्मचारी को PRAN संख्या 110050983141, दिनांक 01.07.2010 को आवंटित हुई। संबन्धित कर्मचारी की पास बुक की जांच मे पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन जमा अंशदान धनराशि रु 61,351/- दिनांक 01.04.2010 कर्मचारी के आवंटित नयी पेंशन योजना के खाते संख्या 110050983141 मे जमा नही कि गयी। ओर न ही शासनादेश 643 के बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन मे संबन्धित कर्मचारी के जमा अंशदान को कोषागार को प्रेषित किया गया।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर मे बताया कि "इस संबंध मे कोई कार्यवाही नही कि गयी है, शीघ्र ही उक्त के संबंध मे कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा"।

उत्तर मान्य नही है क्योकि उपरोक्त शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारी को PRAN खाता आवंटित न होने के बाद भी अंशदान की कटौती की गयी तथा संबन्धित कर्मचारी के अंशदान की धनराशि रु 61,351/- विभागीय उदासीनता के कारण कोषागार को प्रेषित नही किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3:- विभागीय शिथिलता के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियो को मिलने वाले लाभों से वंचित रहना।

उत्तराखंड शासनादेश संख्या 300/xxvii(1)/2010 दिनांक 3 जून 2010 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियो/ अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकर (ले. एवं हक.) कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल के जी. पी. एफ़. अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि 31 दिसम्बर 2017 को सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी श्री नरेंद्र मोहन आर्य को लेखा परीक्षा तिथि तक सामान्य भविष्य निधि की कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की गयी थी और न ही मासिक पेंशन प्रदान की जा रही थी साथ ही उक्त कर्मचारी को महालेखाकर (ले. एवं हक.) से आबंटित जी. पी. एफ़. खाता सं. एवं कोषागार द्वारा आबंटित जी. पी. एफ़. खाता सं. में भिन्नता भी पायी गयी।

उक्त प्रकरण की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा कि त्वरित पत्राचार कर भुगतान की प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी की जाएगी।

इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR No-182/2013-14	NIL	01	-	NIL

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR No-182/2013-14	Part II B-01	-	-	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

<u>भाग-V</u>

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री विनायक श्रीवास्तव	जिला सेवायोजन अधिकारी, कार्यालय जिला सेवायोजन, नैनीताल	विगत लेखापरीक्षा से 24.08.2014 तक
2	श्रीमति ममता चौहान	जिला सेवायोजन अधिकारी, कार्यालय जिला सेवायोजन, नैनीताल	25.08.2014 से 22.06.2015 तक
3	श्रीमति प्रियंका गड़िया	जिला सेवायोजन अधिकारी, कार्यालय जिला सेवायोजन, नैनीताल	26.06.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, जिला सेवायोजन, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.